

बिहार नगर पालिका वधियक, 2022 पारति

चर्चा में क्यों?

15 दिसंबर, 2022 को पटना वधानसभा में हंगामे के बीच बिहार नगर पालिका वधियक, 2022 पारति हो गया। इसके तहत सार्वजनिक भूमि को गरिने से पहले स्थानीय नकियों को अतिक्रमणकारियों को पहले सूचना देनी होगी।

प्रमुख बदि

- सारण जहरीली त्रासदी को लेकर वपिक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सदन में यह वधियक पारति हो गया। वधियक के अनुसार, नकिय अधिकारी नोटसि जारी करने के 24 घंटे बाद अस्थायी अतिक्रमण और 15 दनि की नोटसि अवधि के बाद ही स्थायी अतिक्रमण हटा सकते हैं।
- उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य सरकार झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने के लिये एक पुनर्वास नीति लेकर आ रही है। प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार, सरकार उन 48,000 प्रभावति झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्वास की तैयारी कर रही है, जनि के घर पटना में हाल के अभियानों के दौरान ध्वस्त कर दिये गए थे।
- इसके साथ ही वधानसभा ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग वधियक, 2022 भी पारति कर दिया है।